

तानी वारिसों के हिस्सों की अवधि बिक्री पर आपत्ति की गई है। दो पाकिस्तानी राष्ट्रिकों (श्री कुदरत हुसैन खान के दो पुत्रों) के इस सम्पत्ति में हिस्सों का मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।

**होटलों में काम करने वाले मजदूर**

3741. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटलों में काम करने वाले मजदूरों को 45 रुपये मासिक दर से भोजन भत्ता दिया जाता है जबकि अधिकारी 45 रुपये तक एक ही वक्त के भोजन पर खर्चा कर सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख). भारत तथा विदेशों में प्रचलित परिपाटी के अनुसार भोजन भत्ता / निशुल्क भोजन होटल कर्मचारियों के वेतन डांचे का एक अंग है।

भारत पर्यटन विकास निगम के दिल्ली के होटलों के कर्मचारियों के मामले में उनके संघों के साथ किये गये समझौते के अनुसार भोजन भत्ता प्रति व्यक्ति 45 रु० प्रतिमास नियत किया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम के दिल्ली से बाहर के होटलों के संबंध में भोजन भत्ता प्रति मास प्रति व्यक्ति 20 से 30 रु० तक निर्धारित किया गया है। उन लोगों को छोड़कर जिन्हें ड्यूटी पर तनात होने के दौरान निःशुल्क भोजन दिया

जाता है, सभी होटल कर्मचारी अपने सवेतन अवकाश की अवधि के दौरान भी भोजन भत्ते के पात्र होते हैं उन कर्मचारियों को, जिन्हें ड्यूटी पर निःशुल्क भोजन का अधिकार होता है। उनकी छुट्टी की अवधि के दौरान निःशुल्क भोजन के स्थान पर भोजन भत्ता दिया जाता है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के अधिकारियों को भोजन भत्ता नहीं दिया जाता। होटलों में आने वाले अतिथियों के लिये शीघ्र एवं कुशल सेवा को मुनिश्चित करने के लिये ऐसे अधिकारियों को, जिनका कार्य परिचालनात्मक अथवा प्रबन्धात्मक होता है, ड्यूटी पर निःशुल्क भोजन दिया जाता है। इन भोजनों की अधिकतम लागत अलग - अलग होटलों में अलग अलग होती है तथा प्रति भोजन प्रति व्यक्ति 7. 20 रु० से लेकर 12. 00 रु० तक होती है।

भोजन भत्ते/निःशुल्क ड्यूटी भोजन की पात्रता होटलों के विभिन्न कर्मचारियों और अधिकारियों के लिये नियत किये गये कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों पर निर्भर करती है।

**भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा वसूल किया जाने वाला सेवा शुल्क**

3742. श्री कृष्ण कुमार गोयल :  
श्री कचरू लाल हेमराज जैन :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम कर्मचारियों के नाम से होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों से सेवा शुल्क वसूल करता है ; और

(ख) क्या इस राशि को कर्मचारियों में वितरित नहीं किया जाता ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे होटलों के मजदूरों के क्वार्टर

3743. श्री कृष्ण कुमार गोयल :

श्री कचरू लाल हेमराज जैन:

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम वर्ष भर अपने होटलों की मरम्मत करवाता रहता है ;

(ख) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे होटलों के मजदूरों के क्वार्टर आज तक न तो साफ ही किये गये, न उनकी पुताई और मरम्मत की गई और न ही उन का नवीकरण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम सूनियोजित संधारण कार्यक्रम के भाग के रूप में, तथा विशेष आवश्यकता पड़ने पर, अपने होटलों में समय समय पर मरम्मत कार्य करता है।

(ख) और (ग). भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में स्टाफ क्वार्टरों को समय-समय पर किये गये सुनियोजित संधारण कार्यक्रमों द्वारा अच्छी हालत में रखा जाता है।

बिड़ला परिवार को दिए गए आयात व निर्यात लाइसेंस

3745. श्री हुकम देव नारायण यादव :

क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1962 से 1976 तक बिड़ला परिवार को कितने तथा कितने मूल्य के आयात व निर्यात लाइसेंस दिये गये और किन किन वस्तुओं के लिये दिये गये ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : आयात लाइसेंसों के कंपनी/फर्मवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, जारी किये गये सभी निर्यात लाइसेंसों के विवरण "वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एंड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज" में प्रकाशित किये जाते हैं। इस बुलेटिन की एक प्रति संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाती है।

आयात व्यापार नियंत्रण संगठन द्वारा जारी किये आयात और निर्यात लाइसेंस

3746. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात व्यापार नियंत्रण संगठन ने पिछले सदन के सदस्यों को कुछ वस्तुओं के आयात और निर्यात के कुछ लाइसेंस जारी किये थे; और